



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श10)

(सं0 पटना 879) पटना, बुधवार, 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

19 मार्च 2020

सं० 3315—श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम+पो0— गोही, अं0+था0— वारिसनगर, जिला— समस्तीपुर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०— 4185 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था एवं सुचारु प्रबंधन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक— 1489, दिनांक 31.10.2012 द्वारा अंचलाधिकारी, वारिसनगर की अध्यक्षता में ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन 05 वर्षों के लिए किया गया था। न्यास समिति के पाँच वर्षों का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात् पर्षदीय पत्रांक—1181, दिनांक 01.12.18 द्वारा अंचलाधिकारी, वारिसनगर से नवीन न्यास समिति गठन हेतु स्वच्छ छवि के ग्यारह व्यक्तियों के नाम की मांग की गई, जिसके आलोक में अंचलाधिकारी, वारिसनगर के पत्रांक—508, दिनांक 30.08.19 द्वारा आम सभा दिनांक 31.10.17 में चयनित 10 लोगों के नाम को अग्रसारित किया गया। पूर्व न्यास समिति के तीन सदस्य श्री रजनीकांत ठाकुर, श्री अरुण कुमार तथा श्री कृष्ण मोहन शर्मा ने पर्षद में दिनांक 03.03.2020 को उपस्थित होकर कथन किया कि प्रस्तावित व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तथा इनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है और इनकी न्यास समिति गठन करने से मंदिर के नियमित पूजा—पाठ तथा मंदिर की अतिक्रमिता की गई भूमि की वापसकी का शसक्त प्रयास किया जाएगा। प्रस्तावित 10 नामों के अतिरिक्त पूर्व न्यास समिति के श्री अरुण कुमार को भी उपाध्यक्ष के रूप में मनोनित करते हुए न्यास समिति के गठन का आदेश दिया जाता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा—32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है**, का प्रयोग करते हुए “श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम+पो0— गोही, अं०+था०—वारिसनगर, जिला—समस्तीपुर” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री राम जानकी मंदिर न्यास योजना, ग्राम+पो0-गोही, अं0+था0- वारिसनगर, जिला- समस्तीपुर” होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री राम जानकी मंदिर न्यास समिति, ग्राम+पो0-गोही, अं0+था0-वारिसनगर, जिला-समस्तीपुर” होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकालकर खर्च किया जायेगा।
4. न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
5. मठ परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्न रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
8. न्यास समिति द्वारा मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है। बोर्ड का गठन के पश्चात नियमित करने पर विचार किया जायेगा:-

|                                                          |   |            |
|----------------------------------------------------------|---|------------|
| (1) श्री शैलेन्द्र ठाकुर पे0-स्व० राम बदन ठाकुर          | — | अध्यक्ष    |
| (2) श्री अरुण कुमार ठाकुर पे0-स्व० ब्रज किशोर ठाकुर      | — | उपाध्यक्ष  |
| (3) श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा पे0-स्व० नंद किशोर शर्मा  | — | सचिव       |
| (4) श्री नवल किशोर ठाकुर पे0-स्व० अनुप लाल ठाकुर         | — | कोषाध्यक्ष |
| (5) श्री नरेन्द्र प्रसाद यादव पे0-स्व० विन्देश्वरी ठाकुर | — | सदस्य      |
| (6) श्री अशोक कुमार शर्मा पिता-स्व० दुर्गा प्रसाद शर्मा  | — | सदस्य      |
| (7) श्री नागेन्द्र साह पे0-स्व० रामेश्वर साह             | — | सदस्य      |
| (8) श्री महेश राम पे0-स्व० विशेश्वर राम                  | — | सदस्य      |
| (9) श्री उमेश अंकुर पे0-स्व० कामेश्वर ठाकुर              | — | सदस्य      |
| (10) श्री संजय कुमार ठाकुर पे0-स्व० रामवरण ठाकुर         | — | सदस्य      |
| (11) श्रीमती संजु देवी पति-सुबोध मंडल                    | — | सदस्य      |

सभी निवासी-ग्रा०+पो०-गोही, था०+अं०-वारिसनगर, जिला-समस्तीपुर।

उपरोक्त न्यास समिति में संरक्षक के रूप में श्री कृष्ण मोहन शर्मा तथा श्री रंजनीकांत ठाकुर नामित किया जाता है, जिनके निर्देशन में यह न्यास समिति कार्य करेगी। उक्त गयारह नामों का चरित्र-सत्यापन संबंधित थाना से प्राप्त होने के उपरांत समिति को नियमित किए जाने का विचार किया जाएगा।

- नोट :- 1. उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि "श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम+पो0- गोही, अं0+था0- वारिसनगर, जिला- समस्तीपुर" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य, न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/ विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,  
अखिलेश कुमार जैन,  
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 879-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>